आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11.5.17		

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 246/2016–17

मो0 मनजुर आलम वो मो0 रिहान वो मो0 खुरशीद, सभी पिता–स्व0 अब्दुल वद्दुद,
सा0–रधुनाथपुर, थाना–रानीगंज – आवेदकगण

बनाम

मो0 नोमान, पिता–स्व0 अब्दुल रसीद, सा0–रधुनाथपुर, थाना–रानीगंज,
जिला–अररिया – विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक मो0 मंजुर आलम, मो0 रिहान एवं मो0 खुरशीद, सभी पिता–स्व0 अब्दुल वद्दुद, सा0–रधुनाथपुर, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया की ओर से विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से निम्न विवरण की जमीन का जमाबंदी रद्द करने हेतु दाखिल किया गया है।

वादग्रस्त का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
मजकुरी	201	78	356 357 358 400 404	1.94 ए0	1491
	201	422	1218 401 402 403 394 395 397 396 398 399 391/1492	3.82½ ए0	1493

वाद प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 14.01.2017 को निर्धारित की

गई। दिनांक 14.01.2017 को ही विपक्षी अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से शक्ति पत्र सहित उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर–सह–सहमति पत्र दाखिल किया गया है तत्पश्चात दिनांक 12.04.2017 को आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–मजकुरी के खाता सं0 78 के खेसरा सं0 356, 357, 358, 400 एवं 404 का कुल रकवा 7.76 ए0 तथा खाता सं0 422, खेसरा सं0 1218, 401, 402, 403, 394, 396, 397, 398, 399 एवं 391/1492 का कुल रकवा 13.54 ए0 का खयितान चार व्यक्ति 1. अब्दुल रसीद 2. अब्दुल वदुद 3. शेख अब्दुल रउफ एवं 4. शेख अब्दुल शकुर के नाम से दर्ज हुआ। जिसके अनुसार सभी खयितानी रैयत दखल हुये। कलान्तर में चारों खयितानधारी की मृत्यु उपरांत उनके वारिशानों के बीच आपसी बँटवारा कर लिया गया और बँटवारा के अनुसार सभी वारिशानों को 5.32½ ए0 भूमि दोनों खाता से ब हिस्सा बराबर प्राप्त हुआ और सभी फरिकेन अपने–अपने हिस्से की जमीन पर दखलकार हुए।

इनका यह भी कहना है कि खाताधारी के वारिशानों का लगान रसीद हासिल करने में दिक्कत होने पर अपने–अपने नाम से अपने हिस्से की जमीन का अलग–अलग जमाबंदी दर्ज करा कर लगान रसीद प्राप्त किया गया। खाताधारी अब्दुल रसीद के पुत्र मो0 नोमान के नाम से अलग जमाबंदी सं0 2098 दर्ज हुआ और लगान रसीद निर्गत हो गया। खाताधारी अब्दुल वदुद के वारिशान जो आवेदकगण है। उनलोगों के नाम से दोनों खाता का अलग–अलग जमाबंदी दर्ज हुआ, किन्तु उस जमाबंदी के साथ–साथ पुनः विपक्षी नोमान के नाम प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी सं0 1491 एवं 1493 दर्ज हो गया। जबकि वादग्रस्त भूमि का जमाबंदी आवेदकगणों के नाम से दर्ज होना चाहिए था। किन्तु हल्का कर्मचारी द्वारा गलती का सुधार अंचलाधिकारी के स्तर से नहीं किया जा सकता है। विपक्षी नोमान के द्वारा भी अपने प्रतिउत्तर में वादग्रस्त भूमि का जमाबंदी आवेदकगणों के नाम दर्ज करने की सहमति दी गई है।

अतएव विपक्षी नोमान के नाम वादग्रस्त भूमि का दर्ज जमाबंदी सं0 1491 एवं 1493 को रद्द कर आवेदकगणों के नाम जमाबंदी दर्ज करने का अनुरोध करते है।

विपक्षी नोमान द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा भी वादग्रस्त भूमि का दर्ज जमाबंदी को आवेदकगणों के नाम दर्ज करने की सहमति दी गई है।

अतः आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, संलग्न साक्ष्यों एवं विपक्षी के दाखिल प्रतिउत्तर के गहन परिशीलन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि रकवा कुल 21.30 ए0 का खयितान चार व्यक्ति 1. अब्दुल रसीद 2. अब्दुल वदुद 3. शेख अब्दुल रउफ एवं 4. शेख अब्दुल शकुर के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत की मृत्यु उपरांत चारों खतियानी रैयतों के वारिशानों के बीच आपसी बँटवारा के तहत 5 एकड़ 32½ डी0 भूमि प्रत्येक को हिस्सा प्राप्त हुआ। हिस्से के अनुसार एक फरीक अब्दुल रसीद के पुत्र विपक्षी नोमान के नाम से जमाबंदी सं0 2098, रकवा 5.32½ ए0

दर्ज होकर लगान रसीद निर्गत हो चुका है। दूसरे फरीकदार आवेदकगणों द्वारा बँटवारा में प्राप्त प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी दर्ज कराने हेतु दाखिल किया गया तो प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी सं0 1491 एवं 1493 पुनः विपक्षी नोमान के नाम दर्ज हो गया, जो कि आवेदकगण मो0 मंजुर आलम वो मो0 रिहान वो मो0 खुर्शीद, सभी पिता–अब्दुल वदूद, सा0–रधुनाथपुर के नाम दर्ज होना था, जिसे विपक्षी द्वारा प्रतिउत्तर के माध्यम से आवेदकगणों के नाम दर्ज करने की सहमति दी गई है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वादग्रस्त भूमि का दर्ज जमाबंदी सं0 1491 एवं 1493 को रद्द किया जाता है। अंचलाधिकारी, रानीगंज को आदेश दिया जाता है कि जमाबंदी सं0 1491 एवं 1493 में दर्ज भूमि को आवेदकगणों के नाम से विधिवत जमाबंदी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

पारित आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचलाधिकारी, रानीगंज को भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

11.5.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 48/रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 11/05/2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रानीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

11.5.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया